प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगर थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– .....2022 .....
प्र0सू0रि0 सं .....161/22.....दिनांक.....5/5/2022.....

2. (1) अधिनियम... भ्र.नि.(संशोधन)अधिनियम 2018.....धाराए ..... 7.....

(2) अधिनियम.....भादसं.....धाराए.....

(3) अधिनियम.....धाराए.....

(4) अन्य अधिनियम एवं .....धाराएं.....

3. (क) घटना का दिन :– शुक्रवार .....दिनांक :–.....01.04.2022.....समय : .....

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक :–.....31.03..2022.....समय : 04.00 पीएम.....

(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या .....9.1..... समय.....6.00 p.m.....

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–

(क) थाने से दिशा एवं दूरी – चौकी से पश्चिम दिशा बफासला करीब 20 किलोमीटर

बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....

(ख) पता:– श्रीगंगानगर से पदमपुर रोड़, बस स्टेण्ड चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस

थाने का नाम..... जिला .....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–

(क) नाम :– आकाश उर्फ मंटा

(ख) पिता/पति का नाम :– श्री नाहर सिंह

(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 21 वर्ष

(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय

(ड़) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....

(च) व्यवसाय :—

(छ) पता :– निवासी चक 9 एल0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी चक 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0न0 1558 पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठया(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

परिवादी आकाश के पड़ौसी बबू पुत्र श्री काकू सिंह द्वारा चक 8 एल0एल0 से बिटू नाई की पत्नी को भगा कर ले जाने पर पुलिस थाना चूनावढ में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसके कम में आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 पुलिस थाना चूनावढ द्वारा परिवादी आकाश को फोन करके थाने पर बुलाया और डराया धमकाया कि बबू को नशे की गोलिया देने तथा औरत को भगाने में तेरा हाथ होना सामने आ रहा है, तु जेल जायेगा। अगर तु तेरा बचाव चाहता है तो 20,000/रूपये दे दे तथा परिवादी को बार–बार कॉल करके रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31.03.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर आरोपी द्वारा 10,000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होने की पुष्टि होना पाया जाना, जिसके अनुशरण में दिनांक 01.04.22 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से मोबाईल पर सम्पर्क कर चूनावढ बुलाना एवं वार्ता के कम में स्वंय पुलिस थाना चूनावढ से चलकर घटनास्थल बस स्टेण्ड चूनावढ पर पहूंचना व रिश्वत के प्राप्त करने के प्रयास करना आदि आरोप।

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य :– .....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

दिनांक 31.03.2022 वक्त 4.00 पीएम पर परिवादी आकाश उर्फ मंटा पुत्र श्री नाहर सिंह जाति मजबी सिख उम्र 21 साल निवासी चक 9 एल0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने स्वयं चौकी भ्रनिब्यूरो श्रीगंगानगर–प्रथम पर उपस्थित होकर मन उप अधीक्षक पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना एवं प्रार्थना पत्र जानकार से कम्प्यूटर टाईप करवाना व उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर बताया कि मेरा पड़ौसी बबू पुत्र श्री काकू सिंह ने चक 8 एल0एल0 से बिटू नाई की पत्नी को भगा कर ले गया था। जिसके सम्बधं में पुलिस थाना चूनावढ में रिपोर्ट हुई थी। पुलिस, बबू व उस महिला को पंजाब से पकड़ कर ले आयी थी। इस मामले में पुलिस थाना चूनावढ का विजेन्द्र सिपाही ने मुझे तीन–चार दिन पहले फोन करके मुझे थाने में बुलाया और डराया धमकाया कि तेरा नाम बबू को नशे की गोलिया देने तथा औरत को भगाने में तेरा हाथ होना सामने आ रहा है, तु जेल जायेगा। अगर तु तेरा बचाव चाहता है तो 20,000/रूपये दे दे, तेरी सारी सेटिंग करवा दूगा। वो मुझे बार–बार कॉल कर रहा है व मुझे रूपये लेने के लिये थाने बुला रहा है। मुझे विजेन्द्र सिपाही इस मामले में झुठा फसाने का डर दिखाकर मेरे से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, मै उसको रिश्वत नही देना चाहता, उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। इस प्रकार परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आना पाये जाने परिवादी श्री आकाश को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोपो का सत्यापन करवाने हेतु कहा गया तो उसने कहा कि मै आज ही आरोपी से रिश्वत के सम्बधं में बातचीत कर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर परिवादी को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकॉर्डर उपयोग में लेने की विधि समझाकर श्री भवानी सिंह, कानि0 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी के साथ गोपनीय सत्यापन हेतु आवश्यक हिदायत कर चूनावढ की ओर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल टेप रिकॉर्डर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 8.15 पीएम पर उपरोक्त फिगरा के गोपनीय सत्यापन में गये हुये श्री भवानी सिंह कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि परिवादी आकाश पुलिस थाना चूनावढ में जाकर आरोपी से मिला था, जहां अपने कार्य के सम्बधं में बातचीत की, जिसमें आरोपी द्वारा 20,000/रूपये रिश्वत की मांग करते हुये उसके आधे 10,000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ है तथा परिवादी कल उक्त रूपये आरोपी को देगा। उक्त वार्ता परिवादी ने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। बाद सत्यापन परिवादी ने उक्त वार्ता का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मेरे सुपुर्द कर दिया था। परिवादी को कल सुबह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर वही से उसके गांव जाने हेतु छोड़ दिया एवं मै रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूँ। जिस पर डिजीटल टेप रिकॉर्डर में उक्त रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया, जिसमें रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। अग्रिम कार्यवाही में दो राज्य कर्मचारियों की बतौर गवाह मौजूदगी आवश्यक होने से अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष कल सुबह 10.00 एएम पर दो सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 01.04.2022 को वक्त 9.30 एएम पर परिवादी श्री आकाश ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया एवं बताया कि कल शाम को मै व भवानी सिंह कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर चूनावढ पहूंचे थे, जहां भवानी सिंह कानि. ने मुझे टेप रिकॉर्डर सुपुर्द किया था और वह गोपनीय स्थान पर रूक गया। फिर मै पुलिस थाना चूनावढ में जाकर आरोपी विजेन्द्र सिपाही से मिला, जिस पर मैने विजेन्द्र सिपाही से अपने कार्य के सम्बधं में बातचीत की थी, जिस पर विजेन्द्र सिपाही ने मेरे 20,000/रूपये रिश्वत की मांग की थी, जिस पर मेरे द्वारा कम करने का कहने पर वह 20,000/रूपये के आधे 10,000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ है। उक्त वार्ता मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर यह रिकॉर्ड वार्ता वाला डिजीटल टेप रिकॉर्डर श्री भवानी सिंह कानि0 को दे दिया एवं मै वही से अपने गांव चला गया था। उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को रूबरू गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में कार्यालय के कम्प्यूटर पर सुना गया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार की गई व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की कम्प्यूटर से दो सीडी तैयार कर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया तथा एक सीडी अनुसंधान प्रयोजनार्थ खुली रखी गई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता से रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी ने बताया कि मै आरोपी को आज ही रिश्वत राशि दूंगा, रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/रूपये अपने साथ लेकर आया हूँ। वक्त 10.30 एएम पर तलविदा गवाह श्री प्रवीण कुमार कनिष्ठ सहायक एवं श्री अमरचन्द कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड श्रीगंगानगर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। दोनों कर्मचारियों को तलबी का कारण बताकर उनसे कार्यवाही में बतौर गवाह सहयोग की अपेक्षा की तो दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति दी। जिस पर परिवादी आकाश से दोनो गवाहान को आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर परिवादी की रिपोर्ट का सार बताते हुये सत्यापन के तथ्यों से अवगत करवाया गया। वक्त 10.45 एएम पर परिवादी ने निर्देशानुसार अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/–रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट पेश किये। नोटो के नम्बरो को फर्द में अंकित करवाकर श्री लीलालधर मु0आ0 से फिनॉफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से मंगवाकर उक्त नोटो पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया व परिवादी की जामा तलाशी गवाह से लिवाई जाकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी नोटो को श्री लीलालधर मु0आ0से परिवादी के पहनी बुशर्ट की उपरी बांयी जेब में रखवाया जाकर आवश्यक निर्देश दिये गये। ट्रेप का ईशारा निर्धारित किया गया। फिर फिनॉफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिकिया का दृष्टांत दिखाकर हाजरीन को इसका महत्व व परिणाम समझाया गया। परिवादी को रिश्वती लेन देन के दौरान होने वाली वार्तालाप को रिकार्ड करने हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर दिया गया। उक्त कार्रवाई की अलग से फर्द सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 11.45 एएम पर मन उप

अधीक्षक पुलिस मय परिवादी आकाश, दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रवीण कुमार व श्री अमरचन्द व ब्यूरो स्टाफ के श्री हंसराज एएसआई, श्री आनन्द कुमार मु0आ0, श्री सुबे सिंह कानि0, श्री नरेश कुमार कानि., श्री सुरेन्द्र सिंह कानि0, श्री संजीव कुमार कानि, श्री भवानी सिंह कानि., श्री आशीष कुमार कानि0, श्री भंवरराम कानि0 मय लेपटोप–प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स प्राईवेट वाहन व दोनो सरकारी मोटरसाईकिलो से ब्यूरो कार्यालय से ट्रेप कार्रवाई हेतु रवाना होकर पदमपुर–श्रीगंगानगर रोड़ पर स्थित चूनावढ बस स्टेण्ड के नजदीक पहूंचा। इसी दौरान वक्त करीब 12.26 पीएम पर परिवादी आकाश के मोबाईल न. 8949211059 पर मिसड कॉल आयी, जो देखकर परिवादी ने आरोपी विजेन्द्र सिंह सिपाही के मोबाईल न. 9672304023 से आना बताया। जिस पर परिवादी आकाश को निर्देशित कर उसके मोबाईल से आरोपी विजेन्द्र सिंह के मोबाईल पर स्पीकर ऑन कर वार्ता करवायी तो आरोपी ने परिवादी से उसकी मौजूदगी का पूछते हुये कहा कि अभी थाना पर दोनो पार्टियां आयी हुई है, तु चूनावढ पहूंच कर फोन करना। फिर परिवादी ने पुनः आरोपी से वार्ता कर आरोपी को बताया कि दूसरी पार्टी के मेरे पास थाने पर आने के लिये फोन आ रहे है तब आरोपी ने कहा कि तु थाने मत आना। उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद परिवादी आकाश की उसके मोबाईल से करीब वक्त 1.06 पीएम पर आरोपी के मोबाईल पर पुनः वार्ता करवायी गई, जिसमें परिवादी ने आरोपी को बताया कि मै चूनावढ आ गया हूँ, इस पर आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया कि तु वही बस स्टेण्ड पर पुल के पास गन्ने के रस वाले पास मिलना मै आ रहा हूँ, परिवादी ने कहा कि मै बस स्टेण्ड पर होटल पर चाय पीने के लिये जा रहा हूँ, तो आरोपी ने कहा कि तु चाय पी मै आ रहा हूँ। इस पर परिवादी आकाश को गाड़ी से उतारकर बस स्टेण्ड पर स्थित दुकानो पर रूककर आरोपी का इंतजार करने को कहा गया साथ ही मन उप अधीक्षक पुलिस सहित सभी ट्रेप पार्टी सदस्य अपने–अपने हिसाब से बस स्टेण्ड पर ही मुकिम होकर परिवादी के ईशारा का इंतजार करने लगे। वक्त 01.15 पीएम पर एक नवयुवक ब्लेक कलर के हीरो मोटरसाईकिल न0 आरजे–13–एसडब्ल्यू–6496 से बस स्टेण्ड पर आकर अपने मोबाईल से कॉल करने लगा, जिसके कुछ ही देर बाद वह परिवादी के पास पहूंच कर रूका और परिवादी को मोटरसाईकिल पर साथ में लेकर श्रीगंगानगर की ओर जाने वाली सड़क पर रवाना हुआ, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप पार्टी सदस्य भी वाहनो में सवार होकर कुछ दूरी रखते हुये पीछे–पीछे रवाना हुये। कुछ ही दूर जाकर उक्त युवक मोटरसाईकिल को रोककर परिवादी आकाश से बातचीत करने लगा, इसी दौरान परिवादी आकाश ने ट्रेप का निर्धारित ईशारा दे दिया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस सभी हमराहीयान सहित अविलम्ब परिवादी के पास पहूंचा, जिस पर मोटरसाईकिल सवार युवक घबरा गया। परिवादी आकाश ने पूछने पर बताया कि साहब यही आदमी विजेन्द्र सिपाही है, जिसने मेरे से मेरे कार्य के सम्बधं में बात करते हुये कहा कि थाने चले क्या, इसने सतर्कता के तहत मेरे से रिश्वत राशि नही ली, तब मैने घबराकर आपको ईशारा कर दिया, रिश्वत राशि मेरे पास ही है। इस पर उक्त विजेन्द्र से उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो अपना नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी चक 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0न0 1558 पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर होना बताया। आरोपी विजेन्द्र सिंह से परिवादी आकाश के कार्य एवं उससे रिश्वत मांगने के सम्बधं में पूछा तो बताया कि मै थाना पर सी0सी0टी0एन0एस0 का काम करता हूँ। थाना पर एक गुमशुदगी जसविन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह की दर्ज हुई थी, जसविन्द्र कौर को बबू निवासी चक 9 एल0एल0 नामक युवक भगा ले गया था, जो इस आकाश का दोस्त है, इस मामला की जांच श्री चैन सिंह हैड कानि0 2068 के पास में है। इस मामले में आकाश का नाम लड़की भगाने में सहयोग करने में आ रहा था, मुझे इस मामला की जानकारी थी, इसलिये मैने आकाश को फोन करके गुमशुदगी के दूसरे तीसरे दिन बुला लिया था, फिर आकाश को इस मामला में बचाने के लिये मेरी आकाश से पैसो के लेन देन की बात होने लगी, आकाश का पासपोर्ट बना हुआ था, मैने आकाश को इस मामला में नही फसाने की एवज में 20,000/रूपये मांगे थे, फिर कल दिनांक 31.03.22 शाम को मैने आकाश को थाना पर बुलाया था, जिससे मैने 20,000/रूपये मांगे थे, तब आकाश ने 10,000/रूपये दे देने का कहा था। आज मैने आकाश को रिश्वत राशि 10,000/रूपये देने के लिये चूनावढ बुलाया था, जो चूनावढ बस स्टेण्ड पर आया हुआ था, मै रिश्वत राशि लेने के लिये चूनावढ बस स्टेण्ड पर आकाश के पास आया और आकाश को अपने साथ मोटरसाईकिल पर बिठाकर कुछ दूर ले जाकर राशि लेना चाह रहा था, मुझे आकाश की गतिविधिया कुछ संदिग्ध लगी, जिस कारण मैने इससे पैसे नही लिये। इतने में आप व आपका स्टाफ आ गया था। यह रिश्वत राशि किसके लिये ली जा रही थी, की बाबत आरोपी से पूछा तो विजेन्द्र सिपाही ने बताया कि यह राशि मै मेरे लिये ही ले रहा था, इसमें चैन सिंह हैड कानि0 या अन्य किसी अधिकारी की कोई भूमिका नही है, ना ही उनको इस सम्बधं में कोई जानकारी है। मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस पर सुरक्षा के मध्यनजर आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 को साथ लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के घटनास्थल से रवाना होकर पुलिस थाना चूनावढ पहूंचा। जहां पर कार्यवाही के क्रम में चैन सिंह हैड कानि0 को मौका पर जसविन्द्र कौर की गुमशुदगी पत्रावली सहित तलब करने पर श्री चैन सिह हैड कानि. ने उपस्थित होकर बताया कि श्रीमती जसविन्द्र कौर पत्नी रेशम सिंह निवासी चक 8 एल0एल0 तहसील श्रीगंगानगर की गुमशुदगी की एम0पी0आर0 उसके पति रेशम सिंह की रिपोर्ट पर थाना पर एम0पी0आर0 न0 14 दिनांक 26.03.22 थाना हाजा पर दर्ज हुई थी, जिसकी तलाश/जांच थानाधिकारी के आदेश पर मेरे द्वारा की जा रही थी। दो दिन पहले जसविन्द्र कौर के परिजनो ने बताया कि हमे पता चलने पर पंजाब से जसविन्द्र कौर को ले आये है, उसकी तबीयत ठीक नही है, घर पर ही है, जिसे अग्रिम कार्यवाही के लिये आज उसके परिजन पुलिस थाना पर लेकर आने वाले थे। विजेन्द्र सिंह कानि0 पुलिस थाना पर सीसीटीएनएस का काम देखता है, उक्त गुमशुदगी भी सीसीटीएनएस पर इसी के द्वारा दर्ज की जाकर पत्रावली पर कार्यवाही पुलिस भी इसके हस्तलिखित है, इसलिये इसे इस मामला की पूर्ण जानकारी थी। मैने इस सम्बधं में विजेन्द्र सिंह को आकाश

से रिश्वत लेने के सम्बधं में कभी कुछ भी नही कहा, यदि विजेन्द्र सिंह कानि0 ने आकाश से कोई रिश्वत की मांग की है या ली है, तो उसने अपने स्तर पर ही की है। उक्त एम0पी0आर0 पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। कार्यवाही फर्द हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी व परिवादी के मध्य मोबाईल फोन पर की गई वार्ताओ, जो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार कर व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री भवानी सिंह कानि. से दो सीडी तैयार करवाकर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर चिट कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। फिर रिश्वती लेन देन आरोपी व परिवादी के मध्य डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता, को रूबरू गवाहान, परिवादी के सुनी जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट तैयार कर व डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता की लेपटॉप से श्री भवानी सिंह कानि. से दो सीडी तैयार करवाकर एक सीडी को कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर चिट कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा एक सीडी वास्ते अनुसंधान खुली रखी गई। चूंकि आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 व परिवादी आकाश के मध्य रिश्वत का आदान प्रदान नही हुआ, रिश्वत राशि परिवादी के पास ही है, जो प्राप्त की गई। जिसे वापिस परिवादी को जरिये जुदागाना रसीद लौटायी गई। आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0न0 1558 को पुलिस थाना चूनावढ पर ही छोड़ते हुये मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवांदी, दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ के पुलिस थाना चूनावढ से वाहनो से रवाना होकर वक्त 05.25 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के घटना स्थल बस स्टेण्ड चूनावढ पर पहूंचा, घटनास्थल का नियमानुसार नक्शा मौका बनाकर हालात मौका अंकित किये गये, बाद कार्यवाही परिवादी आकाश को जाने की इजाजत देकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान व ब्यूरो स्टाफ सदस्यों के मौका से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय श्रीगंगानगर पहूंचा। कार्यवाही से सम्बधिंत वजह सबूत तीन शील्डशुदा सीडी श्री लीलाधर मु0आ0 के जरिये मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये व दोनो गवाहान आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया।

इस प्रकार परिवादी आकाश उर्फ मंटा पुत्र श्री नाहर सिंह जाति मजबी सिख उम्र 21 साल निवासी चक 9 एल0एल0 तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, आरोपी द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड वार्ता एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही रिकॉर्ड वार्ताओ तथा फर्द हालात मौका आदि से यह तथ्य आया है कि परिवादी आकाश के पड़ौसी बबू पुत्र श्री काकू सिंह द्वारा चक 8 एल0एल0 से बिटू नाई की पत्नी को भगा कर ले जाने पर पुलिस थाना चूनावढ में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसके कम में आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 पुलिस थाना चूनावढ द्वारा परिवादी आकाश को फोन करके थाने पर बुलाया और डराया धमकाया कि बबू को नशे की गोलिया देने तथा औरत को भगाने में तेरा हाथ होना सामने आ रहा है, तु जेल जायेगा। अगर तु तेरा बचाव चाहता है तो 20,000/रूपये दे दे तथा परिवादी को बार–बार कॉल करके रिश्वत की मांग कर रहा था, जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 31.03.2022 को रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया, मांग सत्यापन के दौरान आरोपी विजेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में अपनी पदीय स्थिति का दबाव बनाकर परिवादी से 20,000/रूपये रिश्वत की मांग करना, जिस पर परिवादी द्वारा कम करने का कहने पर आरोपी द्वारा 10,000/रूपये रिश्वत लेने पर सहमत होने की पुष्टि होना पाया गया है। जिसके अनुशरण में दिनांक 01.04.22 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी से मोबाईल पर सम्पर्क कर चूनावढ बुलाना एवं वार्ता के कम में स्वंय पुलिस थाना चूनावढ से चलकर घटनास्थल बस स्टेण्ड चूनावढ पर पहूंचना व रिश्वत के प्राप्त करने के प्रयास करना तथा स्वंय आरोपी द्वारा उपरोक्तानुसार घटनाक्रम को स्वीकार करने आदि तथ्यों से आरोपी द्वारा परिवादी को डरा धमकाकर रिश्वत की मांग करना पाये जाने पर आरोपित मुल्जिम **विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति बावरी उम्र 31 साल निवासी चक 52 जीजी गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर हाल कानि0न0 1558 पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(भुपेन्द्र कुमार)
उप पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
श्रीगंगानगर–प्रथम

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह, कानि. नम्बर 1558, पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 161/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1412-16 दिनांक 5.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

5/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भुपेन्द्र कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह, कानि. नम्बर 1558, पुलिस थाना चूनावढ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 161/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

5/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1412-16 दिनांक 5.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला श्रीगंगानगर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।